न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 02/2012

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियां
RAS

1 लिछमणराम पुत्र श्री भींवाराम जाति जाट निवासी सोनासर तहसील व जिला झुंझुनू मृतक जरिये विधिक प्रतिनिधिगण।
1/1 मनीराम उम्र 45 साल पुत्र लिछमणराम।
1/2 भरत कुमार उम्र 40 साल पुत्र लिछमणराम।
1/3 बंजरगलाल उम्र 35 साल पुत्र लिछमणराम समस्त जाति जाट निवासीगण सोनासर तहसील व जिला झुंझुनू।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलांट

बनाम

1 गुगनराम पुत्र भींवाराम जाति जाट निवासी सोनासर तहसील व जिला झुंझुनू मृतक जरिये विधिक प्रतिनिधिगण।
1/1 सुभाष उम्र 40 साल पुत्र गुगनराम।
1/2 ओमप्रकाश उम्र 35 साल पुत्र गुगनराम।

1/3 महेश उम्र 30 साल पुत्र गुगनराम समस्त जाति जाट निवासीगण सोनासर तहसील व जिला झुंझुनू।

2 रिछपाल उर्फ शिशपाल पुत्र भीवाराम जाति जाट निवासी सोनासर तहसील व जिला झुंझुनू।

3 हीराराम पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी सोनासर तहसील व जिला झुंझुनू मृतक जरिये विधिक प्रतिनिधिगण।

3/1 प्रताप उम्र 45 साल पुत्र हीराराम।

3/2 रामनिवास उम्र 40 साल पुत्र हीराराम।

3/3 नन्दलाल उम्र 38 साल पुत्र हीराराम।

3/4 राजेश उम्र 36 साल पुत्र हीराराम समस्त जाति जाट निवासीगण सोनासर तहसील व जिला झुंझुनू।

4 हनुमान पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी सोनासर तहसील व जिला झुंझुनू मृतक जरिये विधिक प्रतिनिधिगण।

4/1 रणीवर उम्र 40 साल पुत्र हनुमान।

4/2 रोहिताश उम्र 37 साल पुत्र हनुमान।

4/3 सुरेश उम्र 37 साल पुत्र हनुमान समस्त जाति जाट निवासीगण सोनासर तहसील व जिला झुंझुनू।

5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय
दिनांक 08.02.1993 डिक्री दिनांकित 01.03.93
बमुकदमा उनवानी गुगनराम बनाम लिछमणराम
वगैरह दावा बंटवारा घोषणार्थ हुक्म ईक्तनाई
मु.न. 920/92 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू

उपस्थित

1. श्री महिपाल कपूरिया अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेन्द्र कुमावत अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–24.10.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा वाद संख्या 920/92 में पारित निर्णय दिनांक 08.02.1993 एवं डिक्री दिनांक 01.03.1993 के विरूद्व प्रस्तुत की है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने भूमि गत खसरा नम्बर 395 हाल खसरा नम्बर 1362,1363,1364 गत खसरा नम्बर 400 हाल खसरा नम्बर 1302,1303, 1304,1305, गत खसरा नम्बर 409 हाल खसरा नम्बर 1475,1476, 1476/2306, गत खसरा नम्बर 419 हाल खसरा नम्बर 1374,1375,1465, 1465/2175, गत खसरा नम्बर 404 हाल खसरा नम्बर 1372 वाके ग्राम सोनासर तहसील व जिला झुंझुनू के सन्दर्भ में वाद प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकारान ने राजीनामा पेश किया जिसे तस्दीक किया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

जाकर उसके आधार पर दावा डिक्री किया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि जरिये राजीनामा डिक्री हुई है राजीनामें में अपीलांट को 2 बीघा 5 बिस्वा कम दी गई है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्व 17.12.1992 को एक पक्षीय कार्यवाही हुई है राजीनामा 08.02.1993 को हुआ धोखे से प्राप्त डिक्री पर मियाद लागु नही होती है। नियम 18 से 21 की पालना नही हुई है। खसरा नम्बर 1476/1306 में मेरा कब्जा है 1475 में मेरे मकान है इस प्रकार विचाराधीन डिक्री गलत पारित हुई है जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के साथ अपील प्रस्तुत कर दी है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि 20 वर्ष बाद अपील पेश हुई है विचाराधीन निर्णय व डिक्री राजीनामें से पारित हुई है राजीनामें पर सभी के हस्ताक्षर है आदेश 23 नियम 3 सीपीसी के अनुसार राजीनामें की डिक्री की अपील पोषणीय नही हैं अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट एंव रेस्पोडेट ने स्वंय उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया है पक्षकारों की पहचान उनके अधिवक्तागण द्वारा की गई है विचारण न्यायालय द्वारा राजीनामा पढ़कर पक्षकारों को सुनाया गया है इसके उपरान्त सहमती व्यक्त करने पर राजीनामा तस्दीक कर राजीनामें के आधार पर राजीनामे के आधार पर विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। यह डिक्री लोक अदालत की भावना से पारित की गई है अपीलांट ने अपील मेमों और वर वक्त बहस विचाराधीन निर्णय व डिक्री में कोई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

विधिक त्रुटि होना साबित नही किया है। आदेश 23 नियम 3 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार राजीनामें से पारित डिक्री की अपील पोषणीय नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

24/x/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर